संख्या-50/2026/001-1110-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या- 60 के अन्तर्गत ईको पर्यटन का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-903/36-बी-8(ईको)/2026-27, दिनांक 25.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में **ईको पर्यटन का विकास** योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित की गयी धनराशि रू० 860.00 लाख के सापेक्ष धनराशि **रू० 499.02 लाख (रू० चार करोड़ निन्याबे लाख दो हजार)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें:-

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अत: जिस व्यय के संबंध में उ0प्र0 बजट मैनुअल/ वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी/विभाग की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: नियमानुसार प्राप्त किया जाय।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यो की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।
4. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब प्रस्तावित कार्यों की उपयोगिता/गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर/शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
5. इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाय।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाय।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।
9. योजनान्तर्गत कार्यो हेतु समय-समय पर निर्गत ई टेण्डरिंग विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय संबंधी समस्त कार्य नियमानुसार जी0इ0एम0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जाय।
10. प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-903/36-बी-8(ईको)/2026-27, दिनांक 25.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निर्गत की जा रही है। अत: किसी भी प्रकार की आंकिक/लिपिकीय त्रुटि हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उत्तरदायी होगें।
12. उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर से निर्गत समस्त निर्देशों एवं समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों एवं औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है। अत: इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. विषयगत योजना हेतु सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 04.05.2026 में दिये गये निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति/स्थलीय निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय
लेखाशीर्ष: 4406018001200 (ईको पर्यटन का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,44,22,000 (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख बाईस हजार मात्र)
2	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	25 लघु निर्माण कार्य	94,75,000 (रुपये चौरानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र)
3	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	60,05,000 (रुपये साठ लाख पाँच हजार मात्र)
	कुल			**4,99,02,000 (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख दो हजार मात्र)**

महायोग	4,99,02,000 (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख दो हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-50(1)/2026/001-1110-81-4-2026, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।